दैनिक भास्कर
बिलासपुर 20-06-2025

हमर लैब घोटाले पर हाई कोर्ट ने कहा- यह संगठित आर्थिक अपराध

मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को जमानत नहीं

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की हमर लैब योजना के तहत हुए बहुचर्चित 411 करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को जमानत नहीं मिली है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए टिप्पणी की है कि यह संगठित आर्थिक अपराध है, जिससे राज्य सरकार को 411 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान का अंदेशा है। आरोपी ने बंद सिस्टम वाले उपकरण सप्लाई कर एकाधिकार बनाया। उसे जमानत देने से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और समाज में गलत संदेश जाएगा। साल 2021 में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में हमर लैब योजना के तहत मेडिकल उपकरणों और रीएजेंट की भारी मात्रा में खरीदी की। शेष | पेज 7

सामान 2352 रुपए प्रति नग की दर पर खरीदे

गड़बड़ी में EDTA ट्यूब 2352 रुपए प्रति पीस पर खरीदी गई। ये अन्य जगहों पर साढ़े 8 रुपए में उपलब्ध था। इसी तरह CBC मशीनें जो खुले बाजार में 5 लाख रुपए में उपलब्ध थीं, वह 17 लाख रुपए में खरीदी गई।